

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा
(जिला-भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 21/2025
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2025/20

अनवान

- 1- दूदा पिता धन्ना गूर्जर निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- धापू पत्नी उगमा गूर्जर निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- प्रेम पुत्री धन्ना गूर्जर निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- बरदू पिता उगमा गूर्जर निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- भूली पत्नी धन्ना गूर्जर निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा - मृतक
- 6- भीमा पिता जगरूप गूर्जर निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 7- भोजू पिता उगमा गूर्जर निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 8- भोली पुत्री उगमा गूर्जर निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा - मृतक
- 9- मनभर पत्नी जगरूप गूर्जर निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 10- रतनी पुत्री धन्ना गूर्जर निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा - मृतक
- 11- राधा पुत्री धन्ना गूर्जर निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 12- रामस्वरूप पिता जगरूप गूर्जर निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 13- लाली पुत्री उगमा गूर्जर निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 14- लाली पत्नी दूदाराम गूर्जर निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-प्रार्थीगण

बनाम

- 1- कन्हैयालाल पिता मांगी लाल दरोगा निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- उदा पिता मोहन ब्राह्मण निवासी होड तहसील सुवाणा जिला भीलवाड़ा
- 3- जगदीश पिता रामकरण खारोल निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- ऐजन पत्नी सुवा खारोल निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- बरदा पिता घीसू बलाई निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- श्रवण पिता उदा खारोल निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 7- देवा पिता मीदू दरोगा निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 8- नन्दा पिता लक्ष्मण बलाई निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 9- श्रवण पिता देवी दरोगा निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 10- धीरज सिंह पिता मूल सिंह सोदा निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 11- कैलाश पिता मदन भारतीय गोस्वामी निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 12- कालू पिता शंकर भारतीय गोस्वामी निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 13- छोटू सिंह पिता भेरू सिंह सोदा निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 14- रामा पिता अर्जुन खारोल निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 15- प्यारचंद पिता मदन भारतीय गोस्वामी निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 16- मूल सिंह पिता गजराज सिंह सोदा निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू : 15.05.2025

उपस्थित :-

श्री कैलाश चन्द्र सुवालका : अधिवक्ता प्रार्थीगण
विपक्षीगण संख्या 1, 3 से 16 एकपक्षीय

::- निर्णय -::

दिनांक : 11.08.2025

1. वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरुद्ध विपक्षीगण द्वारा पेश किया गया संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम गिरड़िया प0ह0 गिरड़िया भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 1089 रकबा 0.06 है0, 1090 रकबा 0.40 है0, 1091 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला- भीलवाड़ा (राज.)

- 15 है0, 1092 रकबा 0.40 है0, 1124 रकबा 0.21 है0, 1192 रकबा 0.18 है0, 1193 रकबा 0.31 है0, 1203 रकबा 0.34 है0, 1204 रकबा 0.02 है0, 1205 रकबा 0.03 है0, 1206 रकबा 0.03 है0, 1207 रकबा 0.28 है0, 1208 रकबा 0.14 है0, 1212 रकबा 0.15 है0, 1461 रकबा 0.50 है0, 1462 रकबा 0.80 है, 1463 रकबा 0.18 है0, 1464 रकबा 0.05 है0, 1467 रकबा 0.30 है0, 1474 रकबा 0.24 है0, 1478 रकबा 0.17 है0 कुल किता 21 रकबा 4.94 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ोसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थीगण अपनी आराजी पर गये तो विपक्षीगण द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया।
2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामिली विपक्षीगण संख्या 1, 3 से 16 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध दिनांक 04.08.2025 एवं 11.08.2025को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। एवं विपक्षीगण सं0 2 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से दिनांक 11.08.25 को उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गई।
3. प्रार्थीगण अधिकवक्ता की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम गिरड़िया प0ह0 गिरड़िया भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 1089 रकबा 0.06 है0, 1090 रकबा 0.40 है0, 1091 रकबा 0.15 है0, 1092 रकबा 0.40 है0, 1124 रकबा 0.21 है0, 1192 रकबा 0.18 है0, 1193 रकबा 0.31 है0, 1203 रकबा 0.34 है0, 1204 रकबा 0.02 है0, 1205 रकबा 0.03 है0, 1206 रकबा 0.03 है0, 1207 रकबा 0.28 है0, 1208 रकबा 0.14 है0, 1212 रकबा 0.15 है0, 1461 रकबा 0.50 है0, 1462 रकबा 0.80 है, 1463 रकबा 0.18 है0, 1464 रकबा 0.05 है0, 1467 रकबा 0.30 है0, 1474 रकबा 0.24 है0, 1478 रकबा 0.17 है0 कुल किता 21 रकबा 4.94 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने के दरम्यान पक्षकारान में आपस में सीमा संबंधी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थीगण द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन पेश किया है।
4. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया जाकर विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम गिरड़िया प0ह0 गिरड़िया भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 1089 रकबा 0.06 है0, 1090 रकबा 0.40 है0, 1091 रकबा 0.15 है0, 1092 रकबा 0.40 है0, 1124 रकबा 0.21 है0, 1192 रकबा 0.18 है0, 1193 रकबा 0.31 है0, 1203 रकबा 0.34 है0, 1204 रकबा 0.02 है0, 1205 रकबा 0.03 है0, 1206 रकबा 0.03 है0, 1207 रकबा 0.28 है0, 1208 रकबा 0.14 है0, 1212 रकबा 0.15 है0, 1461 रकबा 0.50 है0, 1462 रकबा 0.80 है, 1463 रकबा 0.18 है0, 1464 रकबा 0.05 है0, 1467 रकबा 0.30 है0, 1474 रकबा 0.24 है0, 1478 रकबा 0.17 है0 कुल किता 21 रकबा 4.94 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण वादगस्त आराजी खसरा नम्बर 1089 रकबा 0.06 है0, 1090 रकबा 0.40 है0, 1091 रकबा 0.15 है0, 1092 रकबा 0.40 है0, 1124 रकबा 0.21 है0, 1192 रकबा 0.18 है0, 1193 रकबा 0.31 है0, 1203 रकबा 0.34 है0, 1204 रकबा 0.02 है0, 1205 रकबा 0.03 है0, 1206 रकबा 0.03 है0, 1207 रकबा 0.28 है0, 1208 रकबा 0.14 है0, 1212 रकबा 0.15 है0, 1461 रकबा 0.50 है0, 1462 रकबा 0.80 है, 1463 रकबा 0.18 है0, 1464 रकबा 0.05 है0, 1467 रकबा 0.30 है0, 1474 रकबा 0.24 है0, 1478 रकबा 0.17 है0 कुल किता 21 रकबा 4.94 है0 का अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि वे धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी राजस्व ग्राम गिरड़िया प0ह0 गिरड़िया भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 1089 रकबा 0.06 है0, 1090 रकबा 0.40 है0, 1091 रकबा 0.15 है0, 1092 रकबा 0.40 है0, 1124 रकबा 0.21 है0, 1192 रकबा 0.18 है0, 1193 रकबा 0.31 है0, 1203 रकबा 0.34 है0, 1204 रकबा 0.02 है0, 1205 रकबा 0.03 है0, 1206 रकबा 0.03 है0, 1207 रकबा 0.28 है0, 1208 रकबा 0.14 है0, 1212 रकबा 0.15 है0, 1461 रकबा 0.50 है0, 1462 रकबा 0.80 है, 1463 रकबा 0.18 है0, 1464 रकबा 0.05 है0, 1467 रकबा 0.30 है0, 1474 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला-मौलवादा(राज.)

0.24 है0, 1478 रकबा 0.17 है0 एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर माप करवाते हुए प्रार्थीगण की आराजी का प्रार्थीगण के व्यय पर मौके पर पत्थरगढी करवाए। वक्त कार्यवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। दौराने कार्यवाही संबंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन होने की दशा में स्थगन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर, सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करते हुए कब्जा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु पाबंद किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हों।



निर्णय आज दिनांक 11-08-2025 को सरे इजलास सुनाया गया

(सुनील कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा